

I/793/2021



केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय)

परिवेश भवन, पूर्वी अर्जुन नगर, दिल्ली – 110032

संचिका सं.: ए. डी.-12099-38-2021-प्रशा.(का.)

दिनांक: 29.12.2021

परिपत्र

केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमावली, 1964 के नियम 18 के अनुपालन में सभी सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों को अपनी वार्षिक अचल सम्पत्तियों का पूर्ण विवरण अपनी प्रथम नियुक्ति के समय तथा उसके बाद से प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में यह विवरण अगले वर्ष के 31 जनवरी तक प्रस्तुत की जानी होती है।

अतः केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को सूचित किया जाता है कि वे लीव मैनेजमेंट सिस्टम (LMS) पोर्टल पर वर्ष 2021 तक की अपनी अचल सम्पत्तियों का पूर्ण विवरण दिनांक 31.01.2022 तक अपडेट कर दें। आगे सभी को यह भी सूचित किया जाता है कि पूर्ववर्ती नियम कि आवश्यकता का अनुपालन न करने पर सरकारी कर्मचारी पदोन्नति, प्रतिनियुक्ति और संवेदनशील पदों हेतु आवेदन करने तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए (अनिवार्य प्रशिक्षण को छोड़कर) आवंटन पैनल हेतु सतर्कता मंजूरी से इनकार करने को आमंत्रित करेगा, क्योंकि वार्षिक अचल संपत्ति विवरण की स्थिति को उक्त प्रयोजनों के लिए जाँच किए जाने की आवश्यकता होती है।

उपरोक्त विषय पर अधिक जानकारी के लिए केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमावली, 1964 का संदर्भ लें।

यह परिपत्र सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(आर कृष्णमूर्ति)

अनुभाग अधिकारी

वितरण: -

- | | | |
|---|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1 | सभी प्रभाग प्रमुख,
के.प्र.नि.बो., मुख्यालय, दिल्ली | कृपया इसे अपने अधीनस्थ कार्मिकों में अग्रसारित करें। |
| 2 | सभी क्षेत्रीय निदेशालय | कृपया इसे अपने अधीनस्थ कार्मिकों में अग्रसारित करें। |
| 3 | प्रभाग प्रमुख,
आई.टी. प्रभाग,
के.प्र.नि.बो., मुख्यालय, दिल्ली | कृपया इसे सीपीसीबी की वेबसाइट पर अपलोड कर दें। |

(आर कृष्णमूर्ति)

अनुभाग अधिकारी

I/793/2021



Central Pollution Control Board

(Ministry of Environment, Forest & Climate Change, Govt. of India)
Parivesh Bhawan, East Arjun Nagar,
Delhi – 110032.

F.No. AD-12099-38-2021-Admn.(P)

the 29th December, 2021

CIRCULAR

In accordance to Rule 18 of Central Civil Services (Conduct) Rules, 1964 every government servant has to submit Annual Immovable Property Returns at the time of his/her first appointment and thereafter in every calendar year by 31st January of the next year.

All employees of CPCB are therefore intimated to update the full particulars of assets & liabilities on Leave Management System portal on or before 31.01.2022 positively for the year 2021. It is further informed that failure on the part of a Government servant to comply with the requirement of the aforesaid rule shall invite the denial of vigilance clearance for empanelment, deputation and applying to sensitive posts and assignment to training programme (except mandatory training), as the Annual Immovable Property Return status needs to be checked for the said purpose(s).

For detailed information about submission of Immovable Property Return, the Officers & Staff may also refer CCS (Conduct) Rules, 1964.

This Circular is issued with the approval of the Competent Authority of Central Pollution Control Board.

(R Krishnamoorthy)
Section Officer (P)

- | | |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 1 All Division Head, CPCB,
H.O., Delhi | To circulate it among the employees working under them. |
| 2 All Regional Directors. | To circulate it among the employees working under them. |
| 3 Divisional Head I.T. Division
CPCB, Delhi | With a request to upload it on the website. |

(R Krishnamoorthy)
Section Officer (P)